रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1379] नई दिल्ली, सोमवार, जून 30, 2014/आषाढ़ 9, 1936
No. 1379] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 30, 2014/ASHADHA 9, 1936

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2014

सं. 48/2014-सीमा शुल्क (गै. टै.)

का.आ. 1649(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, इस बात से संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना आवश्यक एवं समीचीन है, एतद्द्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 36/2001-सीमा-शुल्क (गै.टै.), दिनांक 3 अगस्त, 2001, जिसे का.आ. 748(अ), दिनांक 3 अगस्त, 2001 के तहत प्रकाशित किया गया था में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, सारणी-1, सारणी-2 और सारणी-3 के स्थान पर निम्नलिखित सारणियाँ प्रतिस्थापित की जाएँगी, अर्थात्:—

"सारणी-1

क्रम. सं.	अध्याय/शीर्ष/उपशीर्ष/ टैरिफ मद	माल का विवरण	टैरिफ मूल्य अमरीकी डालर (प्रति मीट्रिक टन)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	1511 10 00	कच्चा पॉम ऑयल	854
2	1511 90 10	आर बी डी पॉम ऑयल	888
3	1511 90 90	अन्य पॉम ऑयल	871
4	1511 10 00	कच्चा पामोलिन	896
5	1511 90 20	आर बी डी पामोलीन	899
6	1511 90 90	अन्य पामोलीन	898
7	1507 10 00	सोयाबीन का कच्चा तेल	960
8	7404 00 22	पीतल स्क्रेप (सभी ग्रेड)	3956
9	1207 91 00	पोस्त बीज	3255

सारणी-2

क्रम. सं.	अध्याय/शीर्ष/उपशीर्ष/ टैरिफ मद	माल का विवरण	टैरिफ मूल्य अमरीकी डालर
(1)	(2)	(3)	(4)
1	71 या 98	स्वर्ण, किसी भी रूप में, जिसके सम्बन्ध में अधिसूचना संख्या 12/2012-सीमा शुल्क, दिनांक 17.03.2012 की प्रविष्टि संख्या 321 और 323 के अंतर्गत लाभ प्राप्त किया गया हो	428 प्रति 10 ग्राम
2	71 या 98	रजत, किसी भी रूप में, जिसके सम्बन्ध में अधिसूचना संख्या 12/2012-सीमा शुल्क, दिनांक 17.03.2012 की प्रविष्टि संख्या 322 और 324 के अंतर्गत लाभ प्राप्त किया गया हो	688 प्रति किलोग्राम

सारणी-3

क्रम. सं.	अध्याय/शीर्ष/उपशीर्ष/ टैरिफ मद	माल का विवरण	टैरिफ मूल्य अमरीकी डालर (प्रति मीट्रिक टन)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	080280	सुपारी	1912"

[फा. सं. 467/1/2014-सीमा शुल्क-V]

सत्यजीत मोहंति, निदेशक (आई सी डी)

नोट:-मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना सं. 36/2001-सीमा शुल्क (गै.टै.), दिनांक 3 अगस्त, 2001, का.आ. 748(अ), दिनांक 3 अगस्त, 2001 के तहत प्रकाशित की गई थी तथा यह अंतिम बार अधिसूचना सं. 46/2014-सीमा शुल्क (गै.टै.), दिनांक 13 जून, 2014, जिसे का.आ. 1526(अ) दिनांक 13 जून, 2014 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 2014

No. 48/2014-CUSTOMS (N. T.)

S.O. 1649(E).–In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise & Customs, being satisfied that it is necessary and expedient so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 36/2001-Customs (N.T.), dated the 3rd August, 2001, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 748(E), dated the 3rd August, 2001, namely:—

In the said notification, for TABLE-1, TABLE-2 and TABLE-3 the following Tables shall be substituted namely:-

"TABLE-1

Sl. No.	Chapter/ heading/ sub-heading/tariff item	Description of goods	Tariff value US $ (Per Metric Tonne)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	1511 10 00	Crude Palm Oil	854
2	1511 90 10	RBD Palm Oil	888
3	1511 90 90	Others – Palm Oil	871
4	1511 10 00	Crude Palmolein	896
5	1511 90 20	RBD Palmolein	899
6	1511 90 90	Others – Palmolein	898
7	1507 10 00	Crude Soyabean Oil	960
8	7404 00 22	Brass Scrap (all grades)	3956
9	1207 91 00	Poppy seeds	3255

TABLE-2

Sl. No.	Chapter/ heading/ sub-heading/tariff item	Description of goods	Tariff value (US $)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	71 or 98	Gold, in any form, in respect of which the benefit of entries at serial number 321 and 323 of the Notification No. 12/2012-Customs dated 17.03.2012 is availed	428 per 10 grams
2	71 or 98	Silver, in any form, in respect of which the benefit of entries at serial number 322 and 324 of the Notification No. 12/2012-Customs dated 17.03.2012 is availed	688 per kilogram

TABLE-3

Sl. No.	Chapter/ heading/ sub-heading/tariff item	Description of goods	Tariff value (US $ Per Metric Tons)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	080280	Areca nuts	1912”

[F. No. 467/01/2014-Cus-5]

SATYAJIT MOHANTY, Director (ICD)

Note:—The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* Notification No. 36/2001–Customs (N.T.), dated the 3rd August, 2001, *vide* number S.O. 748(E), dated the 3rd August, 2001 and was last amended *vide* Notification No. 46/2014-Customs (N.T.), dated the 13th June, 2014, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 1526(E) dated the 13th June, 2014.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.